ओ०जी०एल० के अंतर्गत आलू का आयात

1559. **श्री ईश दत्त यादव:**
प्रो० रामगोपाल यादव:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ओ०जी०एल० के अंतर्गत आलू की विभिन्न किस्मों का आयात करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या कृषि मंत्रालय की उच्च स्तरीय समिति ने सरकार को आलू की विभिन्न किस्मों का आयात न करने का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उच्च स्तरीय समिति के सुझाव क्या-क्या हैं तथा इस पर सरकार का क्या निर्णय है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) से (ग) आलू को आयातों की प्रतिबंधित सूची में रखा गया है। इसे आयातों की मुक्त सूची में लाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

निर्यात से आय

1560. **श्री डी० पी० यादव:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997-98 के दौरान देश को निर्यात से कुल कितनी आय हुई;

(ख) क्या यह आय गत-वर्ष की तुलना में अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1997-98 के दौरान निर्यात डालर के रूप में 33980 मिलियन अमरीकी डालर के हुए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां, । वर्ष 1996-97 के तुलना में वर्ष 1997-98 के दौरान हुए निर्यातों में 1.5% की वृद्धि प्रदर्शित हुई है। डी०जी०सी०आई० एंड एस० के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1996-97 के दौरान निर्यातों का मूल्य 33470 मिलियन अमरीकी डालर का है।

निर्यात संवर्धन के लिए वस्तुओं की पहचान किया जाना

1561. **श्री कपिल सिब्बल:**
श्री बरजिन्दर सिंह:

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऐसी पांच वस्तुओं की पहचान की है, जिनका गत चार वर्षों के दौरान निर्यात अधिकतम रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं के नाम क्या हैं तथा उनका वार्षिक निर्यात का औसत मूल्य कितना है;

(ग) क्या सरकार ने देश से इन वस्तुओं का अधिक मात्रा में निर्यात करने की क्षमता तथा संभावनाओं का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस क्षमता संबंधी आकलन का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) और (ख) वाणिज्यिक जानकारी तथा सांख्यिकी महानिदेशालय (डी०जी०सी०आई० एंड एस०) के 1997-98 के निर्यात आंकड़ों पर आधारित आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 वर्षों के दौरान सबसे अधिक निर्यात की गई पांच वस्तुएं निम्नानुसार हैं:

निर्यात **(करोड़ रु० में)**

वस्तुएं	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98(P)
रत्न एवं आभूषण	14131	17644	16872	19014
सूती यार्न फैब्रिक्स मैड अप्स, आदि	7014	8619	11082	12094
आर०एम०जी० काटन अनुषंगी सहित	7856	9454	10439	10429
औषध तथा भेषजीय एवं परिष्कृत	2512	3409	4342	5228

वस्तुएं	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98(P)
रसायन				
प्रशीनरी औजार	2282	2776	2753	4314

आयात **(करोड़ रु० में)**

वस्तुएं	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98(P)	Average Value
मोती, कीमती और अर्द्ध-कीमती पत्थर	5117	7045	10384	11680	8556
सोना और चांदी	2238	2900	3520	10849	4877
वस्त्र यार्न फैब्रिक्स	1035	1200	1273	1492	1250
अनुषंगी सहित आर० एम०जी० काटन	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	—
औषधीय तथा भेषजीय उत्पाद	937	1358	1089	1301	1171
औजारों को छोड़कर अन्य मशीनरी	8565	13127	12937	13160	11947
विद्युतीय मशीनरी (अ) अनंतिम	789	1292	1155	1359	1149

(ग) और (घ) प्रमुख मदें जैसे रत्न तथा आभूषण और भेषजीय पदार्थों की अच्छी सम्भाव्यतीं है। निर्यातों का संवर्धन करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें ये शामिल हैं: निर्यात ऋण पर ब्याज की दरों को कम करना, विकेन्द्रीकरण के माध्यम से कारोबार लागत में कमी, क्रियाविधियों का सरलीकरण और विभिन्न अन्य उपाय जो कि एक्जिम नीति में दिए गए हैं। बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय पहल के जरिए तथा थ्रस्ट क्षेत्र एवम् अधिक ध्यान देने योग्य क्षेत्र अभिज्ञात करके भी निर्यात संवर्धन के उपाय किए गए हैं।

लघु तथा कुटीर उद्योगों द्वारा किया गया निर्यात

1562. **प्रो० रामगोपाल यादवः**
श्री ईश दत्त यादवः

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर भारत के प्रत्येक राज्य द्वारा लघु तथा कुटीर उद्योगों से प्रतिवर्ष कुल कितने मूल्य का निर्यात किया जाता है तथा उसमें से उत्तर प्रदेश और हरियाणा द्वारा कितने मूल्य का निर्यात किया जाता है;

(ख) क्या हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के लघु और कुटीर उद्योगों को निर्यात में अधिक समस्याओं/कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा निर्बाध रूप से निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार लघु और कुटीर उद्योगों की क्या और किस प्रकार सहायता करेगी?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) निर्यातों के राज्य-वार अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) निर्यात-आयात नीति में लघु और मध्यम वर्गीय निर्यातकों की निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत माल योजना के दायरे को बढ़ाने और सरल करने जैसी लम्बे अर्से से चली आ रही मांग का पहले ही समाधान कर दिया गया है। आरंभिक सीमा को 20 करोड़ रु० से